राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांक : **F23(36)FOOD/STORE/2025-03958-8204805** हस्ताक्षरित, दिनांक :

खुली निविदा सूचना

विभाग में वित्तीय वर्ष, 2025–26 के लिए 08 कम्प्यूटर (मशीन विद् मैन) की आवश्यकता है। अतः वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्रों/निर्देशों के अनुसार कम्प्यूटर (मशीन विद् मैन) किराये पर उपलब्ध करवाने हेतु इच्छुक फर्म/व्यक्तियों से दरें सीलबन्द लिफाफे में इस विभाग में दिनांक ....02/12/2025 को मध्यान्ह पश्चात् 03:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। निविदा की अनुमानित लागत 4,00,000/– रूपये है। निविदा प्रपत्र कार्यालय समय में निविदा जारी होने की तिथि से दिनांक ....02/12/2025 .... को मध्यान्ह पूर्व 12:00 बजे तक कार्यालय से/ऑन लाईन प्राप्त किये जा सकते हैं। निविदा प्रपत्र मय अमानत राशि(अनुमानित लागत का 2 प्रतिशत) रूपये 8,000/– नगद/डी.डी./बैंकर चैक के साथ निर्धारित समय पर कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

उक्त कम्प्यूटर (मशीन विद् मैन) खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग (खाद्य भवन), शासन सचिवालय, जयपुर स्थित मुख्यालय पर उपलब्ध कराने होंगे। निविदा की शर्तें किसी भी कार्य दिवस में विभाग में उपस्थित होकर अथवा विभागीय पोर्टल एवं एस.पी.पी. पोर्टल पर देखी जा सकती है।

कम्प्यूटर (कम्प्यूटर (मशीन विद् मैन) की सेवायें सन्तोषजनक होने पर उक्त अवधि बढ़ाई जा सकती है।

सहायक आयुक्त (खाद्य)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1 निजी सचिव, मुख्य सचिव, खाद्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2 निजी सचिव, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
3 निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार, खाद्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4 निजी सहायक, उपायुक्त प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/पंचम, खाद्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5 निजी सहायक, सहायक आयुक्त, खाद्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6 निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त निविदा सूचना का प्रकाशन एक क्षेत्रीय मुख्य समाचार पत्र में न्यूनतम स्थान, पर प्रकाशन कराकर बिल इस कार्यालय को प्रस्तुत करावें।
7 विभागीय प्रोग्रामर को प्रेषित कर लेख है कि खुली निविदा सूचना एवं संलग्न निविदा प्रपत्र को राज्य लोक उपापन पोर्टल एवं विभागीय पोर्टल पर तत्काल अपलोड करना निश्चित करें।
8 लेखा शाखा (भुगतान)।
9 नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।
10 रक्षा पत्रिका।

Signature Not Verified
Digitally signed by Renu Meena
Designation : Assistant Commissioner
Date: 2025.11.21 10:18:28 IST
Reason: Approved

सहायक आयुक्त (खाद्य)
खाद्य एवं नागरिक आप आपूर्ति विभाग,
राजस्थान, जयपुर

RajKaj Ref No.: 18927511

राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

तकनीकी निविदा प्रपत्र

1. आठ कम्प्यूटर मय प्रशिक्षित ऑपरेटरों के लिए निविदा प्रपत्र वित्तीय वर्ष, 2025–26 हेतु यह संख्या अनुबंध अवधि के दौरान आवश्यकता अनुसार घटाई अथवा बढ़ाई जा सकती है।
2. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम (मय डाक पता एवं टेलीफोन नम्बर) ....

   ई–मेल आई.डी. ....
3. नाम कार्यालय – खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
4. संदर्भ – किराये पर कम्प्यूटर मय ऑपरेटर हेतु अनुबंध।
5. निविदा शुल्क – राशि रूपये 500/– नगद रसीद संख्या .... दिनांक .... द्वारा/रेखांकित पोस्टल ऑर्डर संख्या/चैक/डी.डी. संख्या .... के द्वारा जमा की गई।
6. मेरे/हम .... द्वारा जारी की गई खुली निविदा सूचना दिनांक .... में वर्णित सभी शर्तें तथा निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न की गई अतिरिक्त समस्त शर्तों को मेरे/हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण स्वरूप हस्ताक्षर कर दिये गये हैं।
7. कम्प्यूटर मय ऑपरेटर अनुबंध की दरों में निम्न विवरणानुसार कॉन्फीगरेशन (Configuration) अनिवार्य होगा :–

क्र.सं.	अनिवार्य कॉन्फीगरेशन(Configuration)	दर प्रति माह (मय सर्विस टेक्स/जीएसटी यदि लागू हो तो) (प्रति कम्प्यूटर मय ऑपरेटर)
A	**Computer** - Intel Core i3/Equivalent AMD bassed computer or higher speed, RAM 2/4 GB or higher, Hard disk 250 GB or more, 15" Monitor/TFT or bigger, 10/100/1000 Mbps LAN Card, CD/DVD Writer, Standard Keyboard, Optical Mouse, Standard Serial, Parallel & USB Ports Windows 7 or higher, Anti Virus, Preinstalled MS Office. Responsibility of software license will be borne by the contractor.	
B	**Printer** - Black and White Laser Printer with speed 15 ppm or more. For specific needs, Dot Matrix/Inkjet Printer may be taken in lieu of Laser Printer.	
C	**UPS** - Online/Offline UPS for above Computer and Printer with 30 minutes battery backup.	

नोट :– निर्धारित दरों के अध्ययधीन उपरोक्त वर्णित से अधिक कॉन्फीगरेशन (Configuration) देने वाले को प्राथमिकता दी जावेगी।

8.

क्र. सं.	सेवा का नाम	कम्प्यूटर मशीन विद मैन को देय पारिश्रमिक जो कि प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दर से कम नहीं होगी। मय संख्या				EPF दर प्रतिशत 13%	ESI दर प्रतिशत 3.25%	सामग्री राशि/ उपकरण किराया	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि	कुल राशि
		कम्प्यूटर मशीन विद मैन की श्रेणी	न्यूनतम मजदूरी दर	कम्प्यूटर मशीन विद मैन की संख्या	प्रति कम्प्यूटर मशीन विद मैन					
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
1	कम्प्यूटर मैन विद मशीन	उच्च कुशल	9334	08	9334	1213	303			

9. फर्म को आदेश देने पर निर्धारित अवधि के भीतर किराये पर उक्त कॉन्फीगरेशन के कम्प्यूटर मय ट्रेण्ड ऑपरेटर एवं मशीन के सपुर्दगी कर दी जावेगी।
10. उपरोक्त उदृत की गई दरें दिनांक 29.02.2026 तक के लिये विधि मान्य है। इस अवधि को पारस्परिक सहमति के आधार पर बढ़ाया जा सकता है।
11. बैंकर्स चैक/डी.डी. नम्बर .... दिनांक .... से राशि रूपये ..../– बतौर अमानत राशि (अर्नेस्ट) संलग्न की जावेगी, जो "सहायक आयुक्त (खाद्य), खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान, जयपुर" के पक्ष में देय हो।
12. उल्लेखित कॉन्फीगरेशन (Configuration) के अनुसार 08 कम्प्यूटर्स के अटैचमेन्ट प्रथक–प्रथक उपलब्ध करवाया जावेगा। उपलब्ध कराये गये कम्प्यूटर्स के कॉन्फीगरेशन (Configuration) की जांच आवश्यकतानुसार राज्य सरकार के कम्प्यूटर विभाग के सक्षम अधिकारी से कराई जा सकती है।
13. निविदादाता का टर्नऑवर पिछले 2 वर्षो में टर्नऑवर प्रति वर्ष 50 लाख से कम नही होना चाहिए। तथा Certificate CA द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।
14. राजकीय कार्यालयो में मशीन मैन आपूर्ति का न्यूनतम दो वर्षो का अनुभव प्रमाण–पत्र होना चाहिए।
15. मैंने/हमारे द्वारा निविदा की समस्त शर्तों का पूर्णतया अवलोकन कर लिया है। मैं इनसे पूर्णतया सहमत हूँ तथा इन्हें मानने के लिये बाध्य रहूंगा/रहेंगे।

संलग्न :– निविदा की शर्ते।

निविदादाता के हस्ताक्षर
(मय मोहर)

निविदा की शर्तें

वित्त (बजट) विभाग के परिपत्र संख्या 8/2008 क्रमांक प. 9(1)वित्त–1(1)आ. व्यय/2004 दिनांक 28.07.2008 के बिन्दु संख्या 3 एवं परिपत्र संख्या F. 9(1)FD/Bud/2012 दिनांक 01.05.2014 एवं 01.07.2015 तथा एफ. 2/एफ.डी.(1)एस.पी.एफ.सी./2017 परिपत्र सं. 03/2018 दिनांक 11.07.2018 एवं एफ. 2(1)वित्त/एस.पी.एफ.सी./2017 परिपत्र सं. 1/2018 दिनांक 30.04.2018 के संदर्भ में।

जिस निविदादाता की निविदा स्वीकार की जावेगी उसे 500 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर लिखित अनुबंध करना होगा एवं निर्धारित अवधि के भीतर कम्प्यूटर स्थापित करना होगा। अनुबंध की शर्तें निम्न प्रकार होंगी :–

1. अनुबंध कार्यालय आदेश जारी से 29.02.2026 तक की अवधि के लिए होगा एवं संतोषप्रद कार्य करने पर वित्त विभाग से पुनः स्वीकृति प्राप्त होने के फलस्वरूप उसे आपसी सहमति से बढ़ाया जा सकेगा।
2. स्थापित किये जाने वाले कम्प्यूटर के सभी उपकरण निविदा में वर्णित स्तर के अनुरूप होने चाहिए। यदि सिस्टम निर्धारित स्पेसिफिकेशन के अनुरूप नहीं पाया जायेगा तो उसे निर्धारित स्पेसिफिकेशन के अनुरूप कराया जायेगा।
3. उपकरण स्थापित करने के लिए स्थान एवं बिजली की फिटिंग की व्यवस्था संबंधित विभाग करेंगे। संबंधित विभाग यह सुविधा भी प्रदान करेंगे कि कार्यालय बन्द होने के बाद उपकरण ताले में रखे जा सके।
4. निविदाकार को दिन–प्रतिदिन कार्यालय समय एवं आवश्यकतानुसार कार्यालय समय पश्चात् कम्प्यूटर सेवायें उपलब्ध करानी होगी। प्रिन्टर में प्रयुक्त होने वाले नये टोनर/नये रिबन प्रथम बार निविदादाता द्वारा दिया जायेगा, तत्पश्चात् विभाग द्वारा इनका व्यय वहन किया जायेगा।
5. किसी भी माह में राजपत्रित अवकाशों के अलावा कम्प्यूटर बंद नहीं रखा जावेगा तथा आवश्यकतानुसार अवकाशों में भी बुलाया जा सकेगा। इससे अधिक समय तक कम्प्यूटर बंद रहने पर चाहे वह ऑपरेटर की गैर हाजिरी के कारण या किसी खराबी के कारण हो तो देय राशि में से प्रतिदिन 359/– रूपये तथा 8 घण्टे प्रतिदिन के हिसाब से देर से आने पर प्रति घण्टा 45 रूपये की कटौती की जावेगी।
6. कम्प्यूटर सिस्टम को सही तरीके से कार्यरत स्थिति में संधारित रखने की पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। निविदादाता प्रतिदिन यह सुनिश्चित करेगा कि उसके कम्प्यूटर्स एवं अन्य उपकरण कार्य कर रहे हैं तथा कम्प्यूटर ऑपरेटर समय पर कार्यालय में उपस्थित होकर निर्देशानुसार कार्य कर रहे हैं। इसके लिए किसी प्रकार का कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा। खराब कम्प्यूटर/उपकरण की मरम्मत में अधिक समय लगने की सम्भावना होगी तो निविदादाता को तब तक अन्य उपकरण लगाने की व्यवस्था करनी होगी।
7. यदि कम्प्यूटर सिस्टम संबंधित विभाग की संतुष्टि के अनुसार कार्य नहीं करता है तो 15 दिवस का नोटिस देकर संविदा निरस्त की जा सकेगी तथा सिक्योरिटी राशि जब्त कर ली जायेगी।

8. यदि उपकरणों की चोरी या किसी अन्य प्रकार का नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी संबंधित विभाग की नहीं होगी। उपकरण की सुरक्षा के लिए निविदादाता विभाग की सहमति से उपयुक्त व्यवस्था करना सुनिश्चित कर सकता है। अतः यदि निविदाकार चाहे तो उपकरणों का बीमा करवा सकता है।
9. कम्प्यूटर सेवाओं के लिए किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा।
10. भुगतान मासिक तौर पर महीना समाप्ति के बाद संतोषप्रद रूप से कार्य सम्पन्न किये जाने पर चैक/डी.डी./ऑनलाइन से किया जायेगा तथा वसूलियां यदि कोई हो तो उन्हें प्रभावित किया जायेगा। कम्प्यूटर ऑपरेटर को समय पर प्रचलित विधि/कानून के अनुसार भुगतान करने का पूर्ण दायित्व निविदादाता का होगा। इस विषय में विभाग आवश्यकतानुसार भुगतान संबंधी सूचनायें निविदादाता से प्राप्त करने का अधिकारी होगा। आयकर एवं सेवाकर प्रचलित नियमों के अन्तर्गत देय/वसूल योग्य होंगे। विभाग से भुगतान प्राप्त करने हेतु आयकर पंजियन प्रमाण पत्र (PAN), सर्विस चार्जेज पंजियन प्रमाण पत्र एवं जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रमाण की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
11. समस्त विधिक कार्यवाही, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो किसी भी प्रकार के पक्षकार (संबंधित विभाग व ठेकेदार) द्वारा जयपुर में स्थित न्यायालयों में ही पेश की जायेगी, अन्य स्थान पर पेश नहीं की जायेगी।
12. निविदा देने के इच्छुक अभ्यार्थी/फर्म प्रमुख शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग द्वारा जारी परिपत्र एफ. 9(1)वित्त–11(1)बजट/2004 दिनांक 28.07.2008 में उल्लेखित बिन्दुवार स्पेसिफिकेशन/आवेदन पत्र में कम्प्यूटर में मय ऑपरेटर का बायोडाटा अनुभव एवं योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत करने पर आवेदन पत्र मान्य/स्वीकार होगा। ऑपरेटर्स की दक्षता परीक्षा विभाग द्वारा ली जा सकती है तथा उपयुक्त नहीं पाये जाने पर संबंधित ऑपरेटर को तत्काल हटाने का निर्देश दिया जा सकता है। ऑपरेटर का कार्यालय में आचार व्यवहार समुचित व संतुलित होना चाहिये अन्यथा उसे बिना कोई अवसर दिये हटाया जाना अपेक्षित होगा।
13. किसी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा, जो सभी को मान्य होगा।
14. अधिकृत निविदादाता को अनुबंध के साथ पांच प्रतिशत धरोहर राशि के जमा कराने होंगे।
15. फर्म द्वारा प्रशिक्षित ऑपरेटर उपलब्ध कराने होंगे तथा उन्हें विभाग की अनुमति के बिना नहीं बदला जायेगा। ऑपरेटर कम्प्यूटर की सभी विधाओं जैसे – Words, Excel, Power Point, E-Mail, Mangal Fonts etc. की जानकारी होना अनिवार्य है।
16. ऑपरेटर को अन्यत्र जाने से पूर्व प्रत्येक फाइल का बैकअप संबंधित कार्मिक को सॉफ्ट कॉपी में उपलब्ध कराना होगा।
17. अनुबंध समाप्ति पर कम्प्यूटर मे फीड (Store Datas) की सी.डी. कार्यालय में जमा करानी होगी।
18. अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करने पर कार्यालय में जमा प्रतिभूति राशि जब्त कर अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा।
19. सेवा प्रदाता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिए नहीं सौपेगा या उप भाडे (सब लेट) पर नहीं देगा।
20. निविदादाता जिसकी निविदा स्वीकृत की जाती है वह कार्यादेश की तारीख से 05 दिन की अवधि के भीतर कम्प्यूटर, प्रिन्टर मय ऑपरेटर स्थापित करने की व्यवस्था करेगा।

21. निविदा में प्रस्तुत दरें दो फर्मो की दरे समान रहती है, तो अधिक टर्नऑवर वाली फर्म (2 वर्षो का वार्षिक औसत टर्नऑवर) को प्राथमिकता दी जायेगी। यदि टर्नऑवर भी समान रहता है, तो अधिक अनुभव वाली फर्म को प्राथमिकता दी जायेगी।
22. प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जायेगा तथा संतोषजनक कार्य सम्पन्न करने एवं अनुबन्ध अवधि समाप्त होने के पश्चात सेवा प्रादाता को बिना ब्याज के लौटा दी जायेगी।
23. प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहृत किया जाएगा :–

अ. जब संविदा की शर्तो का उल्लघंन किया गया हो।

ब. जब निनिदादाता संपूर्ण संतोषजनक ढंग से कार्य करने में असफल रहा हो।

स. प्रतिभूति निक्षेप को समपहृत करने के मामेले में युक्ति युक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा। इस संबंध में द्वितीय पक्ष (केता अधिकारी) का निर्णय अंतिम होगा।

24. सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के संबंधित समस्त उपबंध लागू होंगे।
25. उपापन संस्था द्वारा उक्तानुसार विभिन्न सेवाओं के संपादन में कार्यरत मानव संसाधान की उपापन प्रकिया हेतु बोली दस्तावेजों में अन्य आवश्यक बिन्दुओं के साथ–साथ निम्नांकित विशिष्ट बिन्दुओं का अनिवार्य रूप से समावेश किया जायेगा :–

(i) बोलीदाता / संवेदक द्वारा विभिन्न पंजीकरण इत्यादि का विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत किया जावेगा :–

क्र. सं.	विवरण	रजि.सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक
1	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970				
2	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952				
3	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948				
4	वस्तु एवं सेवा कर (GST)				
5	आय कर (पैन नंबर)				
6	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत				

Karina

(ii) जॉब बेसिस पर सेवाओं के उपापन के लिये निविदा में दरें निम्नानुसार प्रपत्र में प्रस्तुत की जायेंगी :–

क्र. सं.	सेवा का नाम	कम्प्यूटर मशीन विद मैन को देय पारिश्रमिक जो कि प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दर से कम नहीं होगी। मय संख्या				EPF दर प्रतिशत	ESI दर प्रतिशत	सामग्री राशि / उपकरण किराया	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि	कुल राशि प्रति ईकाई
		श्रमिक की श्रेणी	न्यूनतम मजदूरी दर	श्रमिकों की संख्या	प्रति कम्प्यूटर मशीन विद मैन	13%	3.25%			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
1	कम्प्यूटर मैन विद मशीन	उच्च कुशल	9334	08	9334	1213	303			

(उपर्युक्त तालिका में स्तम्भ संख्या 1 से 7 तक की पूर्तियां सम्बन्धित उपापन संस्था द्वारा ही की जाकर बोली दस्तावेज में ही अंकित कर उपलब्ध कराई जायेंगी तथा केवल स्तम्भ संख्या 8 एवं 9 में ही बोलीदाता द्वारा समुचित प्रविष्टियां अंकित की जा सकेंगी)

(iii) संवेदक के माध्यम से सेवाओं के उपापन के लिये निविदा में दरें निम्नानुसार प्रपत्र में प्रस्तुत की जायेंगी :–

(iv) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा, श्रम विभाग राजस्थान सरकार के समय–समय पर संशोधित दरों के अनुसार भुगतान किया जावेगा एवं तद्अनुसार प्रावधान उपापन संस्था एवं संवेदक को स्वीकार्य होगें।

(v) राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियम एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक ही उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु अर्हत होंगे। पंजीकरण प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि पूर्ण रूप से भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ सम्बन्धित उपापन संस्था को प्रस्तुत की जायेगी।

(vi) यदि किसी उपापन संस्था को अंशकालिक (Part-time) मानव संसाधन की सेवाओं की 4 घण्टे से कम अवधि के लिये आवश्यकता हो तो ऐसी अंशकालिक सेवा का बोली दस्तावेजों में स्पष्ट उल्लेख करते हुए सम्बन्धित उपापन संस्था द्वारा बिड सम्बन्धी कार्यवाही की जावेगी। ऐसे अंशकालिक मानव संसाधन जिनकी सेवाएं 4 घण्टे से कम अवधि के लिए ली जायेंगी उन्हें उनकी सेवाओं के विरूद्ध न्यूनतम मजदुरी की गणना श्रम विभाग द्वारा समय–समय पर निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की 50 प्रतिशत राशि पर की जायेगी।

(vii) संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों में ही किया जायेगा। सम्बन्धित आवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खाते में जमा कराई गई राशि का विवरण सम्बन्धित उपापन संस्था को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि के विवरण बाबत् उपापन संस्था की संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।

(viii) श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।

(ix) श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर में श्रम विभाग की अधिसूचना से समय–समय पर वृद्धि होने पर उपापन संस्था द्वारा संवेदक को बढ़ी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जा सकेगा।

(x) संवेदक को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौति और संवेदक का अंशदान शामिल होगा। संवेदक द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ. और ई.एस.आई. के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में सम्बन्धित चालान की प्रति प्रस्तुत किये जाने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा।

(xi) संवेदक द्वारा प्रत्येक कार्य स्थल पर Display Boards लगाये जायेंगे, जिन पर संवेदक का नाम, संविदा अवधि, कार्य की प्रगति, श्रमिकों हेतु Helpline नम्बर एवं संवेदक द्वारा न्यूनतम मजदूरी भुगतान नहीं करने की शिकायत करने सम्बन्धी प्रावधान का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा।

Karuna

(xii) राज्य में लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. की राशि जमा कराने का दायित्व संवेदक का होगा।

(xiii) संवेदक द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक की ही होगी। संवेदक द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एवं सेवा कर (GST) के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं सेवा कर (GST) का भुगतान नहीं किया जायेगा। उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवा कर (GST) के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्वों के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।

(xiv) श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/ राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों की पालना करने का दायित्व संवेदक का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिसूचनाओं, दिशा-निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामों/ दायित्वों के लिये संवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।

(xv) यदि संवेदक एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबन्धकीय जिम्मेदारी संवेदक की होगी। इसके लिये उपापन संस्था का सक्षम प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 एवं राजस्थान अनुबन्धित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(xvi) नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1974 में विहित प्रावधानों के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छंटनी, मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।

(xvii) कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई.एस.आई. करवाने/सामुहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा। इसके लिये उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

(xviii) यदि संवेदक द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किये जाने की शिकायत उपापन संस्था को प्राप्त होती है तो उपापन संस्था इस संबंध में श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित करेगी और नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक को Debar कराने की कार्यवाही करेगी।

(xix) यदि किसी संस्था द्वारा कार्य की विशिष्ट प्रकृति के मद्देनजर किसी निर्धारित प्रतिशत में कोई अतिरिक्त राशि मानव संसाधन हेतु स्वीकृत करा रखी हो, तो उक्त अतिरिक्त राशि को न्यूनतम मजदूरी में सम्मिलित नहीं करते हुए, इसे पृथक से भुगतान हेतु अंकित किया जायेगा। उदाहरण के लिए यदि किसी उपापन संस्था द्वारा अतिरिक्त राशि के रूप में न्यूनतम मजदूरी का 10 प्रतिशत की सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर रखी है

Kavina

तो न्यूनतम मजदूरी के ऊपर 10 प्रतिशत का पृथक से भुगतान संवेदक को किया जायेगा। उक्तानुसार विशिष्ट कार्य करने वाले सम्बन्धित श्रमिक को 10 प्रतिशत (न्यूनतम मजदूरी का) अतिरिक्त भुगतान करने का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।

(xix) उपापन संस्था द्वारा संवेदक को कार्य आदेश जारी करने के पश्चात् कार्यादेश की प्रति श्रम विभाग को सम्बन्धित जिला स्तरीय अधिकारी एवं श्रम विभाग मुख्यालय को अनिवार्य रूप से प्रेषित की जायेगी।

26. शासन सचिव वित्त (बजट) विभाग के परिपत्र एफ. 2/एफ.डी.(1)एस.पी.एफ.सी./2017 परिपत्र सं. 03/2018 दिनांक 11.07.2018 एवं एफ. 2(1)वित्त/एस.पी.एफ.सी./2017 परिपत्र सं. 1/2018 दिनांक 30.04.2018 में वर्णित शर्तों के अन्तर्गत संवेदक द्वारा समस्त शर्तों की सफलता पूर्वक पूर्णता के उपरान्त ही संवेदक उक्त निविदा प्रकिया में मान्य होगा। उलंघन करने की स्थिति पर संवेदक की बोली निरस्त करने का सम्पूर्ण अधिकार विभाग में निहित रहेगा।

27. निविदा की किसी भी शर्त को हटाने/जोडने/संशोधित करने का पूर्ण अधिकार उपापन समिति को रहेगा।

निविदादाता

सहायक आयुक्त (खाद्य)

Kamina.

राजस्थान सरकार

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

वित्तीय प्रस्ताव प्रपत्र

1. मशीन विद मैन की सेवायें हेतु आपकी बोली संख्या.................................. दिनांक ....के क्रम मे बिना किसी आरक्षण एवं शर्त के हमारी दरें निम्नानुसार वार्षिक दर अनुबन्ध हेतु प्रस्तुत हैं।
2. हमने बोली प्रपत्र में वर्णित कार्य के दायरे को पूर्ण रूप से समझ लिया है तथा बोली प्रपत्र में वर्णित शर्तों को हम बिना किसी आरक्षण, विचलन या चूक के स्वीकार करते हैं, तथा हम दर अनुबन्ध के विभिन्न आईटमों की बिना किसी शर्त के निम्नानुसार दरें उद्धरित करते है:–

क्र. सं.	सेवा का नाम	कम्प्यूटर मशीन विद मैन को देय पारिश्रमिक जो कि न्यूनतम मजदूरी की दर से कम नही होगी। मय संख्या				ईपीएफ (कॉलम सं. 13%)	ईएआई (कॉलम सं. 3.25%)	मशीन का किराया प्रति माह	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि (प्रति माह प्रति ईकाई रूपये)	कुल राशि प्रति ईकाई (जीएसटी अतिरिक्त)
		श्रेणी	न्यूनतम मजदूरी दर (प्रति माह प्रति ईकाई) रूपये	ऑपरेटर की संख्या	राशि प्रति माह प्रति ईकाई					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	कम्प्यूटर मशीन विद मैन	उच्च कुशल	9334/–	08	9334	1213	303			

*यदि लागू हो तो

3. कम्प्यूटर विथ ऑपरेटर की दर संविदा हेतु हमारी प्रस्तावित दरें निम्नानुसार है :–

		राशि रूपये (अंको में)	राशि रूपये (शब्दों में)
I.	कॉलम सं. 9 हेतु	....	....
II.	कॉलम सं. 10 हेतु	....	....
III.	कॉलम सं. 11 हेतु	....	....

4. हमारे द्वारा दी गयी दरें समस्त कर सहित है, उक्त दरों में जीएसटी सम्मिलित नहीं है। जीएसटी अतिरिक्त देय होगा।
5. कॉलम संख्या 9 से 11 की पूर्ति कर दी गई है।
6. बोली प्रपत्र में उद्धरित की गई दरें दर अनुबन्ध के दौरान स्थिर रहेंगी, परन्तु यदि राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि की जाती है, तो उस स्थिति में राशि न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक स्वतः बढ़ जावेगी।
7. हमने समझ लिया है कि आप कोई प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिये बाध्य नहीं है तथा प्राप्त किसी या समस्त प्रस्तावों को अस्वीकृत कर सकेंगे।
8. कॉलम संख्या 9 व 10 में राशि रूपये 1.00 से कम अंकित नही की जावें। उक्त राशि से कम के इन्द्राज पर निविदा निरस्त कर दी जायेगी।

हस्ताक्षर बोलीदाता

Kavinder

9. बोलीदाता बोली प्रपत्र का क्रय कार्यालय समय में रोकडपाल से रू. 500/- का नगद भुगतान कर प्राप्त कर सकेगा या एसपीपीपी पोर्टल से डाउनलोड कर प्रस्तुत कर सकेगा। कार्यालय से क्रय करने पर टेण्डर फीस की मूल रसीद तकनीकी बोली के साथ संलग्न करनी होगी तथा पोर्टल से डाउनलोड करने पर टेण्डर फीस रू. 500/- का डी डी/ बॅंकर्स चैक (कार्यालयखाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, सचिवालय, जयपुर के पक्ष में देय) तकनीकी बोली के साथ संलग्न करना होगा।

10. बोली दो कवर में सील बन्द प्रस्तुत करनी होगी। प्रथम कवर में तकनीकी प्रस्ताव एवं द्वितीय कवर में वित्तीय प्रस्ताव प्रस्तुत करने होंगे। तकनीकी प्रस्ताव बड़े लिफाफे में रखे जायेंगे तथा वित्तीय प्रस्ताव छोटे लिफाफे में रखकर सीलबन्द कर उसके ऊपर कम्प्यूटर विथ ऑपरेटर हेतु वित्तीय प्रस्ताव के साथ अपनी फर्म का नाम, पता व मोबाईल/दूरभाष नंबर अंकित कर, बड़े लिफाफे में तकनीकी प्रस्तावों के साथ रखे जायेंगे बड़े लिफाफे के ऊपर की ओर कम्प्यूटर विथ ऑपरेटरकी सेवाओं हेतु बोली प्रपत्र अंकित कर सीलबन्द करते हुए निर्धारित तिथि दिनांक 02/12/25 को मध्यान्ह 03:00 बजे तक कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

11. मूल बोली दस्तावेजके प्रत्येक पृष्ठ पर बोलीदाता द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे वांछित दस्तावेज, बोली प्रपत्र के मूल्य का मूल रसीद/डीडी/बैंकर्स चैक प्रस्तुत करना होगा।

12. निर्धारित समय तक प्राप्त बोलीओं के तकनीकी प्रस्तावों को दिनांक 02/12/25 को दोपहर 04:00 बजे उपापन समिति द्वारा उपस्थित बोलीदाताओं/उनके अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष खोला जायेगा।

13. तकनीकी रूप से सफल फर्मों के ही वित्तीय प्रस्ताव खोले जायेंगे। वित्तीय प्रस्ताव खोलने की दिनांक एवं समय की जानकारी बोलीदाताओं को पत्र/ई-मेल/दूरभाषसे दी जावेगी।

हस्ताक्षर बोलीदाता

राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

परिशिष्ट "अ"

चार्टेड अकाउन्टेंट का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स .... का निम्न अवधि का टर्न ओवर अंकेक्षित लेखों के अनुसार निम्न प्रकार रहा है :–

क्रम संख्या	अवधि / वर्ष	टर्न–ओवर
1.	2023–24	....
2.	2024–25	....

हस्ताक्षर मय सील

चार्टेड अकाउन्टेंट

Kavina

राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

परिशिष्ट "ब"

घोषणा पत्र

बोली की समस्त जानकारी/शर्तों का मैनें/हमने अच्छी तरह अध्ययन कर लिया है। मैं/हम यह भी प्रमाणित करते है कि मैं/उक्त कार्य हेतु रजिस्टर्ड है, वास्तव में बोली में चाहा गया व्यवसाय किया जाता है तथा वांछित मशीन/उपकरण/प्रशिक्षित कार्मिक उपलब्ध है।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही,जो की जा सकती है पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समपहृत कर लिया जा सकेगा तथा बोली दस्तावेज को जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

हस्ताक्षर बोली लगाने वाली फर्म मय सील

राजस्थान सरकार

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

परिशिष्ट "स"

बोलीदाता द्वारा विवर्जित एवं ब्लेकलिस्ट नही होने की घोषणा 100 रू के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर नॉटरी द्वारा प्रमाणित

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते है कि मैंने/हमने जिन मालों/सामानों/उपकरणों के लिए बोली दस्तावेज दी है। मेरी/हमारी फर्म आज तक किसी भी राजकीय कार्यालय/बोर्ड/निगम व स्वायत्तशासी संस्थाओं/प्रतिष्ठित संस्था/उपक्रम द्वारा "अधिनियम" की धारा 46 एवं "नियम" के नियम 39 के अनुसार राज्य सरकार या इस उपापन संस्था से अपात्रता के लिए विवर्जित (Debarred) एवं ब्लेकलिस्ट नहीं की गई।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो की जा सकती है पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समपहृत कर लिया जा सकेगा तथा बोली दस्तावेज को जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

हस्ताक्षर बोली लगाने वाली फर्म मय सील

Karuna

Annexure A: Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall&

a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurementprocess or to otherwise influence the procurement process.
b) Not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as toobtain a financial or other benefit or avoid an obligation.
c) Not indulge in any collusion, Bid rigging or anti& competitive behaviour to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
d) Not misuse any information shared between the procuring Entity andthe Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurementprocess:
e) Not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process:
f) Not obstruct any investigation or audit of a procurement process:
g) Disclose conflict of interest, if any; and
h) Disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of interest- A conflict of interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

A Bidder may be considered to be in Conflict of interest with one or more parties in a bidding process if] including but not limited to:

a) Have controlling partners/shareholders in common; or
b) Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
c) Have the same legal representative for the purposes of the Bid; or
d) Have a relationship with each other] directly or through common third parties, that puts in a position to have access to informationabout or influence on the Bid of another Bidder, or Influence the decisions of the procuring Entity regarding the bidding process;
e) The Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a bidder in more than one bid will result in theisqualification of all bids in which the bidder is involved. However, this does not limits the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
f) The Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, works or services that are the subject of the Bid; or
g) Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the procuring Entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.

Kewine.

Annexure B: Declaration by the Bidder regarding Qulifications

Declaration by the Bidder

1) I/We possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2) /We have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any authority as specified in the Bidding Document;
3) I/We are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4) I/We do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5) I/We do not have a conflict osf interest as specified in the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act 2012, the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules 2013 and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:	Signature of bidder:
Place:	Name:
	Designation:
	Address:

Signature of Bidder

Annexure C: <u>Grievance Redressal during Procurement Process</u>

The designation and address of the first Appellate Authority is Additional Food Commisioner Food & Civil Supply department Jaipur Rajasthan.

The designation and address of the Second Appellate Authority is Principal Secretary Food & Civil Supply department Jaipur, Rajasthan.

1. **Filing an appeal**

   If any Bidder or prospective Bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued there under, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the bidding document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

   Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

   Provided further that in case a procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Finacial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

2. The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within 30 days from the date of the appeal.

3. If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the bidder or prospective bidder or the procuring entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the procuring entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the bidding document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2), or date of receipt of the order passed by the first Appellate Authority, as the case may be.

4. **Appeal not to lie in certain cases**

   No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

a) Determination of need of procurement;
b) Provision limiting participation of Bidders in the bidding process;
c) The decision of whether or not to enter into negotiations;
d) Cancellation of a procurement process;
e) Applicability of the provision of confidentiality.

5. **Form of Appeal**

a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
b) Every appeal shall be accompanied by and order appealed against, if any,affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorized representative.

6. **Fee for filing appeal**

a) Fee for fist appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.
b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's Cheque of a scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

7. **Procedure for disposal of appeal**

a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.
b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or SecondAppellate Authority, as the case may be, shall,-
   I. hear all the parties to appeal present before him; and
   II. peruse or inspect documents, relevant records or copies thereofrelating to the matter.
c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.
d) The order passed under sub-clause (3) above shall be placed on the State Public Procurement Portal.

Annexure D: Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

I. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obivious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected.

II. If there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

III. If there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures, shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid security shall be forfeited or its Bid securing Declaration shall be executed. ` 1 + +/

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

3 At the time of awardof contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

4 If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified int the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of contract.

5 In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions ofthe original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of the Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the supplier.

3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (in case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantities of the subject matter of procurement to be procured is vary large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such case, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rate of the Bidder, whose Bid is accepted.

FORM No. 1
[See rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No................of..........

Before the...(First/Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant;
   I. Name of the appellant:
   II. Official address, if any:
   III. Residential address:
2. Name and address of the respondent(s);
   I.
   II.
   III.
3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/authority who passed the order(enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved;
4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:
5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:
6. Grounds of appeal:
   ....
   ....
   ....(Supported by an affidavit)
7. Prayer...
   ....
   ....

Place..........................

Date...........................

Appellant's Signature

Kuvine

Government of Rajasthan

Food and civil supply, Raj- Jaipur

Annexure-A

Declaration by the Bidder regarding Qualifications

in relation to my/our Bid submitted to For Photo State ...in response to their Notice Inviting Bids No. Dated I/We hereby declare under Section 7 of Rajasthan Tranparency in Public Work Procurement Act, 2012, that:

1. I/We possess the necessary professional, Technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;

2. I/We have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document; 3. I/We are not insolvent, in receivership bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/Our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;

4. I/We do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;

5. I/We do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, Which materially affects fair competition;

Date:-

Place:-

Signature of the bidder

Name:

Designation:

Address:

Annexure B: Declaration by the Bidder regarding Qulifications

Declaration by the Bidder

1/we hereby declare under Section 7 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1) I/We possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2) /We have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any authority as specified in the Bidding Document;
3) I/We are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4) I/We do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5) I/We do not have a conflict osf interest as specified in the Rajasthan. Transparency in Public Procurement Act 2012, the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules 2013 and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:	Signature of bidder:
Place:	Name:
	Designation:
	Address:

Signature of Bidder

Government of Rajasthan

Food and civil supply, Raj- Jaipur

Annexure-C

Affidavit regarding compliance to Terms & Condition of Tender

BIDDER NAME..........................

I/We confirm that I/We are authorized to submit tender on behalf of the firm participating in the tender and have perused the entire Bid/tender document Including all its amendments till date.

Having perused the subject tender with all amendments (wherever applicable). I/We hereby confirm unconditional acceptace and compliance to abide by all its terms & conditions as mentioned in Bid/Tender document including technical particulars, Detailed technical specifications of the product, Special Terms & Conditions and General Terms & Connditions wherever indicated, offer validity, Terms of delivery without andy deviations whatsoever:

I/We also confirm acceptance of the all General Terms & Conditions of tender document.

I/We certify that the prices quoted against the tender are competitive and without adopting any unfair/ unethical means in including cartlization.

I/We certified that tendering firm has not been banned by any Government Department of the State/PSU from business dealings.

I/We also certified that the information given above is factually correct, true and nothing material has been concealed.

Name of Bidder with Signature and Seal